

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/247

दिनांक :- 19.10.2023

राजस्व वाद सं. — 300 /2023

GCMS No. 2023/498

उनवान प्रकरण :- मोहन कंवर बनाम तहसीलदार

—: आदेश:—

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का पलाड़ा व भूअ.नि. मण्डावरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	पलाड़ा	162	मुन्नीकंवर पुत्री सुगनसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	मोहन कंवर पुत्री सुगनसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा. देह खातेदार


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/248-249

दिनांक :- 19.10.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी मोहन कंवर पुत्री सुगनसिंह राजपूत सा. देह तह.कुचामन को सूचनार्थ


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

